

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2030 /SEIAA/

Date: 9/11/22

प्रति,

श्री विधान शर्मा,

आत्मज स्व. श्री राकेश शर्मा

निवासी 345-बी बेरामजी टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/291656/2022. प्रकरण क्रमांक 157/2008 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र), द्वारा डोलोमाइट खदान, रकबा 5.639 हे., उत्पादन क्षमता 2000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 86, ग्राम मालेगाव, तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री विधान शर्मा आत्मज स्व. श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में डोलोमाइट खदान, रकबा 5.639 हे., उत्पादन क्षमता 20,00 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 86, ग्राम मालेगाव, तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.), हेतु जारी पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण का आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी, टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र), डोलोमाइट खदान, रकबा 5.639 हे., उत्पादन क्षमता 2000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 86, ग्राम मालेगाव, तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री विधान शर्मा आत्मज स्व. श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी छिंदवाड़ा, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटरीज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. श्री विधान शर्मा आत्मज स्व. श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा नोटरीज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. SEIAA द्वारा पत्र क्र. 114/सिया/2012 दिनांक 24.04.2012 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 383 दिनांक 21.03.2022 (वैधता 16.02.2022 तक) की प्रति।

- VII. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- VIII. कलेक्टर समस्त, (म.प्र.) को प्रेषित खनिज साधन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 18 -5 /2015 /12-1 दिनांक 12.03.2016 अनुसार मूल स्वीकृति से 50 वर्ष तक की प्रति।
- (3) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा -11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 114/सिया/2012 दिनांक 24.04.2012 के माध्यम से श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र), द्वारा डोलोमाइट खदान, रकबा 5.639 हे., उत्पादन क्षमता 2000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 86, ग्राम मालेगाव, तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री विधान शर्मा आत्मज स्व. श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी टाउन, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों पर किये जाने की अनुमति प्रदान जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

1. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.04.2012 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 2031
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक 9/11/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. श्री राकेश शर्मा निवासी 345-बी बेरामजी टाउन नागपुर (महाराष्ट्र)
10. खनिज अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी